कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 2122011

पत्र संख्या–आई0एम0सी0 / मु0 / 2021–22 / 118 / वाणिज्य कर

कार्यालय–कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(इन्वेस्टीगेशन मॉनीटरिंग सेल)

दिनांक :: लखनऊ :: जून 30 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU के अर्न्तगत प्रदेश में 03 Regional Economic Intelligence Committee (मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद) कार्यरत हैं। विभिन्न एजेन्सी के मध्य डाटा शेयरिंग किये जाने हेतु REIC एक महत्वपूर्ण फोरम है। REIC की आयोजित बैठको के दौरान नामित सदस्यों द्वारा समय–समय पर आर्थिक अपराध से सम्बन्धित सूचना /विवरण शेयर किये जाते है, जिसके क्रम में REIC द्वारा यह अपेक्षा की जाती रही है कि जिन मामलों में अन्य एजेन्सियों द्वारा उनके अधिनियमो / नियमों के अन्तर्गत यदि कोई कार्यवाही बनती है तो उससे सम्बन्धित एजेन्सी के प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से REIC को सूचित किया जाए। सूचना के आदान–प्रदान के क्रम में हुई कार्यवाही से करापवंचन में अंकुश लगता है तथा करापवंचको का मनोबल क्षीण होता है। अतः REIC के माध्यम से प्राप्त सूचना पर तत्काल एवं त्वरित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यालय द्वारा समय–समय पर REIC लखनऊ से प्राप्त मामलों को आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर को प्रेषित किया जाता रहा है। मुख्यालय स्तर से प्रेषित जिन मामलो मे अभी तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करायी गयी है उन मामलो में आप द्वारा प्रभावी मानीटरिंग करते हुए समयबद्ध कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि REIC की बैठकों में शेयर किये गये राज्य प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मामलो मे कार्यवाही तत्काल किये जाने की मानीटरिंग अपने स्तर से करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए सम्बन्धित एजेन्सी / REIC / मुख्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यवाही में यदि कोई शिथिलता पाई जाती है तो प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

30/6/2021

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।